एक नजर

शांतिभंग की आशंका में दो आरोपितों को दबोचा

संतकबीर नगर : शांति भंग की आशंका में धनघटा पुलिस ने शुक्रवार को दो लोगों को पकड़कर थाने पर लाई। उनसे विवाद के कारण के बारे में पूछताछ की। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि ये लोग पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने पर उतारू हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस इनके गांव में पहुंची। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। उन्होंने कहा कि इनके मामले में जांच की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

75 वाहनों से 73 हजार रुपये समन शुल्क की वसूली

संतकबीर नगर : जिले की विभिन्न थानों की पुलिस व यातायात पुलिस कर्मियों ने शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की जांच की। इस दौरान मांगने पर ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य जरूरी कागजात न दिखाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 75 वाहनों से 73 हजार रुपये समन शुल्क की वसूली की गयी। इससे वाहन चालकों में देर शाम तक खलबली मची रही।

मार्ग क्षतिग्रस्त होने से राहगीरों को समस्या

संतकबीर नगर : रेलवे स्टेशन खलीलाबाद के उत्तरी छोर पर माल गोदाम मार्ग क्षतिग्रस्त होने से समस्या है। सड़क से हर समय भारी वाहनों के साथ यात्रियों का आवागमन रहता है। इसके बाद भी सड़क ठीक नहीं हो सकी है। स्थानीय नागरिकों ने सड़क ठीक कराने के लिएमांग किया लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। (जासं)

पर्व पर अक्षय भंडार भरने को जमकर हुई खरीदारी

अक्षय तृतीया पर जिले में 52 करोड़ रुपये का कारोबार, फावड़ा चलाकर खरीफ अभियान का शुभारंभ

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर : अक्षय तृतीया पर शुक्रवार को सौभाग्य व धन-धान्य की वृद्धि की प्रार्थना हुई। अक्षय निधि का संचय करके भंडार भरने के ध्येय से जमकर खरीदारी हुई। सोने-चांदी के साथ हीरे के आभूषण खरीदारी हुई। अधिकांश लोगों ने सिक्के के साथ अन्य सामग्रियों की खरीदने में उत्साह बना रहा। जनपद में करीब 52 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है। पर्व को लेकर सराफा बाजार में रौनक रही। खलीलाबाद के गोला बाजार में सुबह से ही खरीदार पहुंचने लगे।

यही हाल जनपद विभिन्न बाजारों का रहा। महंगाई के बाद भी शगुन के लिए परिवार के साथ सोने, चांदी की खरीदारी किया। परिवार के मुखिया, सास-बहू, नई नवेली दुल्हनों में खरीदारी के प्रति उत्साह रहा। दुकानदार द्वारा मौके पर विशेष इंतजाम किए गए। शादी विवाह वाले घरों में शुभ मुहूर्त में खरीदारी हुई। पर्व पर नामी कंपनियों के साथ दुकानदारों ने उपहार योजना से ग्राहकों को आकर्षित किया। मानना है कि आज के दिन सोने की खरीदारी से भंडार व खजाने भरे रहते हैं और घर में समृद्धि आती है। किसानों ने खेतों में विधिविधान पूर्वक पूजन कर फावड़ा चलाकर खरीफ अभियान का शुभारंभ किया गया।

पिछले वर्ष से अधिक हुई बिक्री : पर्व पर पिछले वर्ष 41 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। इस बार 11 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। गोला बाजार के प्रमुख व्यवसायी विनोद रूंगटा का कहना है पर्व पर तीन करोड़ रुपये से अधिक के हीरे के जेवर की बिक्री का अनुमान है। 29 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक आभूषण की बिक्री हुई है। 76 हजार को 10 ग्राम सोने का सिक्का बिका। जिले में करीब 52 करोड़ रुपये के खरीदारी होने का अनुमान है। सराफा व्यवसायी संघ जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार वर्मा का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष खरीदारी अधिक हुई है। ग्राहकों में उत्साह रहा।

निभाई गई परंपरा : पर्व पर भंडार भरने के ध्येय के साथ क्षमता व जरूरत के हिसाब से खरीदारी करने की परंपरा निभाई गई। कुछ लोगों ने मिट्टी के बर्तन, रुई, सेंधा नमक खरीदा व पौधा भी लगाया। है। पंडित कपिल देव त्रिपाठी का कहना है कि इस दिन दान-पुण्य, त्याग, जप-तप व भंडारण को अक्षय माना गया है। मंदिरों में पूजन-अर्चन से सुख-समृद्धि व मंगल होता है।

अक्षय तृतीया पर खलीलाबाद सराफा बाजार में हो रही खरीदारी • जागरण

खलीलाबाद के गोला बाजार में आभूषण खरीदते लोग • जागरण

- सोना- चांदी, हीरे के आभूषण के साथ सिक्के की खरीदारी में रहा उत्साह
- घर-मंदिर में पूजन करके सुख-समृद्धि की प्रर्थना, कृषि कार्य का शुभारंभ

मेरे परिवार में अक्षय तृतीय पर खरीदारी करने की परंपरा निभाई जाती है। मैंने तो कुछ खास नहीं लिया। गले का हार लिया है।

कुसुम चौहान, खलीलाबाद

इस दिन खरीदारी करके खुशी मिलती है। महंगाई व जरूरत को देखते हुए शुभ के लिए बहन के साथ खरीदारी की हूं।

सुमन देवी, गोला बाजार,

दीपावली के बाद अक्षय तृतीय ही ऐसा पर्व है जब खरीदारी के लिए शुभ होता है। इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है।

किरन चौरसिया

अक्षया तृतीय धनधान्य से परिपूर्ण पर्व है। पर्व पर बेटी के साथ खरीदारी की हूं। गले का हार व अंगूठी की खरीदारी की हूं।

नीलम यादव

अखंड सौभाग्य व धन-धान्य के प्रतीक पर्व पर खरीदारी शुभकारी है। पूजन-अर्चन करके आभूषण की खरीदारी की।

संगीता ठाकुर,

मेंहदावल ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय इंदरपुर में निरीक्षण करते बीईओ ज्ञानचदं मिश्र (बाएं) • फोटो शिक्षा विभाग।

विद्यालय निपुण होने के बाद भी नहीं दूर हुई खामियां

जासं, मेंहदावल: खंड शिक्षाधिकारी (बीईओ) मेंहदावल ने शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय इंद्ररपुर का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय निपुण होने के बाद भी खामियां व मूलभूत सुविधाएं न उपलब्ध होने पर नाराजगी जताई। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ अपेक्षित कार्य कराने को निर्देशित किया। बीईआ ज्ञानचंद्र मिश्र के निरीक्षण में निपुण विद्यालय का प्रमाण पत्र मिलने के बाद अपेक्षित कार्य अधूरा मिला। इंडिया मार्क हैंडपंप के रिबोर होने के बाद भी पक्का चबूतरा नहीं बना है। विद्युतीकरण का अभाव है। सुविधाओं से विद्यालय पूरी तरह असंतृप्त है। प्रभारी प्रधानाध्यापक पीयूष श्रीवास्तव का कहना है कि चहारदीवारी नहीं होने के कारण विद्यालय परिसर में शाम होते ही छुट्टा पशु, अराजकतत्वों का जमघट लग जाता है। बीईओ ने कहा कि बच्चों के शैक्षिक स्तर की सराहना करते हुए कार्य पूरा करने को निर्देशित किया।

आवश्यकता है

करमा देवी स्मृति महाविद्यालय
ग्राम- संसारपुर, बस्ती (उ.प्र.) 272001

➔ स्नातक स्तर (विज्ञान संकाय) बी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु
सहायक प्रोफेसर- 03 पद
➔ स्नातकोत्तर स्तर (कला संकाय) पाठ्यक्रम हेतु
सहायक प्रोफेसर- हिन्दी 03 पद, शिक्षाशास्त्र 03 पद

योग्यता– यू.जी.सी. एवं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के परिनियमावली के अनुसार उक्त पदों हेतु योग्य अभ्यर्थी विज्ञापन से 21 दिनों के भीतर योग्यता संबंधी समस्त वांछित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करने हेतु आवेदन पत्र संस्थान के कार्यालय में जमा करें।

प्रबंधक 9305831808, 9919776464, 7007762298
ईमेल-it@karmadevigroup.com

आवश्यकता है

डी.एम.एस. शिक्षण प्रशिक्षण लॉ कालेज
ग्राम- संसारपुर, बस्ती (उ.प्र.) 272001

➔ स्नातक स्तर (विधि संकाय) त्रिवर्षीय लॉ पाठ्यक्रम हेतु
प्राचार्य- 01 पद, सहायक प्रोफेसर- 05 पद

योग्यता– यू.जी.सी. एवं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के परिनियमावली के अनुसार उक्त पदों हेतु योग्य अभ्यर्थी विज्ञापन से 21 दिनों के भीतर योग्यता संबंधी समस्त वांछित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करने हेतु आवेदन पत्र संस्थान के कार्यालय में जमा करें।

प्रबंधक 9305831808, 9919776464, 7007762298
ईमेल-it@karmadevigroup.com

श्रद्धा व उमंग से मनी महर्षि परशुराम की जयंती

जागरण संवादाता, संतकबीर नगर: महर्षि परशुराम की जयंती शुक्रवार को श्रद्धा व उमंग से मनी। विधिविधान से पूजन-अर्चन करके महान कार्यों का स्मरण करने नमन किया गया। एक स्वर में जयकारा लगाते हुए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। खलीलाबाद स्थित समय माता मंदिर में पूजन-अर्चन हुआ। परिसर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में जयंती मनाई गई। मंत्रों के बीच पूजन हुआ। पंडित उपेंद्र मणि त्रिपाठी ने भगवान विष्णु के छठे अवतार ब्राह्मण शिरोमणि भगवान परशुराम जी सभी का कल्याण करने वाले हैं। अजर अमर एवं अविनाशी हैं। भगवान भोलेनाथ महादेव के अनन्य भक्त दुष्ट शक्तियों के संघारक हैं। समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि भगवान श्रीपरशुराम क्षत्रिय वंश के विरोधी थे लेकिन कई शोधों के अनुसार वह केवल अन्याय के विरोधी थे। प्रबल समाज सुधारक होने के साथ अपने योग्य विद्या का दुरुपयोग न करते हुए हमेशा पदयात्रा करते थे त्रेता युग से चलकर द्वापर युग तक आए और अभी भी मौजूद है। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ।

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्र, पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा उर्मिला त्रिपाठी, उषा पांडेय, महंत अवधेश दास, पुजारी महेंद्र दास, राकेश पांडेय आदि मौजूद रहे।

संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणाप्रद है आदर्श : खलीलाबाद के दुर्गा मंदिर में ब्राह्मण कुटुंब के तत्वावधान में शुक्रवार को जयंती मनाई गई। पंडित ज्ञानप्रकाश पांडेय ने कहा कि भगवान परशुराम के आदर्श सिर्फ एक समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगो को संबल देने का कार्य किया था। महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से सबको जीने की राह मिलती है।

महर्षि परशुराम जयंती पर खलीलाबाद के समय माता मंदिर परिसर में पूजन-अर्चन करते श्रद्धालु • जागरण

सूखा पेड़ न कटने से लोगों में आक्रोश

जासं, सेमरियावां : क्षेत्र के बस्ती मेहदावल करमैनी तमकुही राज्य मार्ग (बीएमसीटी) के ग्राम पंचायत पिपरा हंकार के फुटपाथ पर सूखा पेड़ है। इससे मार्ग पर हर समय किसी के राहगीर के ऊपर डाल गिरने का खतरा बना हुआ है। आए दिन पेड़ की टहनिया टूटकर गिरती रहती हैं। शिकायत के बाद पेड़ न कटने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सूखे पेड़ के पास ही बिजली का तार गुजरा है।

25वीं पुण्यतिथि

स्वर्गीय बृजमोहन सहाय उर्फ मुग्गन बाबू

इस अवसर पर उनकी पौत्री **डा. ऋतु सहाय** (D.C.H., M.D.)

द्वारा नवजात शिशु से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क परीक्षण एवं निःशुल्क दवाईयों का वितरण किया जायेगा।

आप सभी से अनुरोध है कि समय से पहुँचकर निःशुल्क शिविर का लाभ उठावें।

अखिलेश्वर सहाय चाइल्ड डवलपमेंट एंड फिजियोथेरेपी सेन्टर

जन्मजात शारीरिक विकलांगता/अपंगता का इलाज सम्भव

दिनांक- 11 मई 2024, दिन- शनिवार
समय- सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

निवेदक - **डा. ऋतु सहाय** (DCH, MD)

कान्हा चिल्ड्रेन क्लिनिक
प्रतिभा कॉम्पलेक्स, बक्शीपुर, गोरखपुर

फोन नं. - 0551-2340783, 2203181, 9792101066

बड़ौदा यू.पी. बैंक
Baroda U.P. Bank

क्षेत्रीय कार्यालय: मेंहदावल रोड, संत कबीर नगर (खलीलाबाद) –272175
मो0. +91 9151082210, ई–मेल: ROKLBD@barodauprrb.co.in

सार्वजनिक बिक्री/ नीलामी सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक बिक्री / नीलामी सूचना

जबकि, **बड़ौदा यू.पी. बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधीनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) सपठित नियम 8(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार **बड़ौदा यू.पी, बैंक, संत कबीर नगर** के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सस्पत्तियों की नीलामी **"जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है"** के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी।

जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतदद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को **दिनांक 18.06.2024** को या उससे पहले, **बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, संत कबीर नगर** में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली **दिनांक 19.06.2024** को समय दोपहर 12:00 बजे खोली जाएगी। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/ज़मानतकर्ता/ बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रू0)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि
शाखा: पचपोखरी					
1.	**ऋणी: श्री घनश्याम पुत्र निर्मल,** निवासी ग्राम– बाकरगंज, पो0– पचपोखरी, जिला– संत कबीर नगर – 272125 **जमानतकर्ता: (1) श्रीमती सुभावती देवी पत्नी निर्मल,** निवासी ग्राम– बाकरगंज, पो0– पचपोखरी, जिला– संत कबीर नगर – 272125 **(2) श्री राजबली पुत्र ठाकुर प्रसाद** निवासी ग्राम– बाकरगंज, पो0– पचपोखरी, जिला– संत कबीर नगर – 272125	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि / प्लाट सं. 63मिन **क्षेत्रफल: 0.063 हेक्ट. या 630.00 वर्ग मी.,** (पंजीकृत बंधक दिनांकित 22.09.2020 के अनुसार) ग्राम–बाकरगंज, तप्पा– फुलेथू, परगना– मगहर पूरब, तहसील– खलीलाबाद, जिला– संत कबीर नगर, पर स्थित है, **भूस्वामी:** श्री घनश्याम पुत्र निर्मल व श्रीमती सुभावती देवी पत्नी निर्मल, निवासी ग्राम– बाकरगंज, पो0 पचपोखरी, जिला– संत कबीर नगर, **प्लाट 63मिन की वर्तमान चौहद्दी : उत्तर**– घनश्याम आदि का मैदान, **दक्षिण**– चकरोड, **पूर्व**– असौदुल्लाह आदि का मैदान, **पश्चिम**– अम्बिका का मैदान	12.06.2023 / 12.04.2024 / सांकेतिक कब्जा	रू. 9,43,311.00 दिनांक 12.06.2023 (+ ब्याज एवं अन्य खर्चे)	9,45,000.00 / 94,500.00
शाखा: मझगांवां					
2.	**ऋणी: श्री गंगाराम गुप्ता पुत्र श्री राम नरेश,** पता: ग्राम– गोरयाभार, पोस्ट– सिकरी, जिला– संत कबीर नगर– 272175 **ज़मानतकर्ता: (1) अर्जुन पुत्र राजमन,** ग्राम– गोरयाभार, पोस्ट– सिकरी, जिला– संत कबीर नगर **(2) झिन्कू पुत्र कामता,** ग्राम– गोरयाभार, पोस्ट– सिकरी, जिला– संत कबीर नगर – 272175	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि एवं भवन, **क्षेत्रफल: 526 वर्ग मी.,** प्लॉट सं. 32, डीड सं. 356, दिनांक 22.01.1981, स्थित ग्राम– कररी, तप्पा– कररी, परगना– महूली, तहसील– खलीलाबाद, जिला– संत कबीर नगर, **भूस्वामी:** श्री गंगा राम पुत्र श्री रामनरेश **चौहद्दी (डीड के अनुसार): पूर्व:** चक रोड, **पश्चिम:** पी.डब्लू.डी. रोड, **उत्तर:** नन्दलाल का मकान, **दक्षिण:** प्रहलाद का मकान	27.01.2022 / 27.04.2022 / सांकेतिक कब्जा	रू. 2,31,706.00 दिनांक 31.12.2021 (+ ब्याज एवं अन्य खर्चे)	16,41,000.00 / 1,64,100.00
शाखा: मैलानी					
3.	**ऋणी: मेसर्स वी.एन. ऑटोमोबाइल्स, प्रोपराइटर– राजेश सिंह पुत्र बृज नारायन सिंह,** ग्राम–सरौली, पोस्ट–खलीलाबाद, जिला–संत कबीर नगर **ज़मानतकर्ता: (1) श्रीमती मालती सिंह पत्नी बृजनारायन सिंह,** ग्राम–सरौली, पोस्ट–खलीलाबाद, जिला–संत कबीर नगर **(2) श्रीमती सोहबत्ता पत्नी गौरीशंकर,** ग्राम–कटबंध, पोस्ट–खलीलाबाद, जिला– संत कबीर नगर– 272175	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि एवं भवन, **क्षेत्रफल: 102.29 वर्ग मी.,** डीड नं. 1932, दिनांक 03.06.2009, प्लाट नं. 386 मी. स्थित मौजा– सरौली, तप्पा– मगहर पूरब, तहसील– खलीलाबाद, जिला– संत कबीर नगर, **भूस्वामी:** श्रीमती मालती सिंह पत्नी बृज नारायन सिंह **चौहद्दी: उत्तर:** 15 फिट प्रस्तावित रास्ता, **दक्षिण:** खुर्शीद फातिमा का जमीन, **पूर्व:** कमलावती पत्नी राम किशन की जमीन, **पश्चिम:** गायत्री देवी एवं अन्य की जमीन	24.05.2022 / 16.08.2022 / सांकेतिक कब्जा	रू. 3,47,712.80 दिनांक 23.05.2022 (+ ब्याज एवं अन्य खर्चे)	20,75,000.00 / 2,07,500.00
4.	**ऋणी: श्रीमती सुनीता देवी पत्नी चन्द्रसेन,** ग्राम–मिश्रौलिया, पोस्ट– मिश्रौलिया, जिला–सन्त कबीर नगर **ज़मानतकर्ता: (1) रवी प्रकाश भारती पुत्र राम नरेश,** ग्राम–छादन, पोस्ट–समदहा, जिला– सन्त कबीर नगर **(2) राम धनी पत्नी मुनेश्वर,** ग्राम–मध्य अचक पूरवा, पोस्ट– खलीलाबाद, जिला– सन्त कबीर नगर	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि एवं भवन, प्लाट नं. 285 मी., **क्षेत्रफल: 126.5 वर्ग मी.** स्थित ग्राम– मिश्रौलिया, परगना– मगहर पूरब, तहसील– खलीलाबाद, जिला– संत कबीर नगर **भूस्वामी:** श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री चन्द्रसेन **चौहद्दी (वर्तमान): पूर्व:** भगवती की जमीन, **पश्चिम:** पन्नेलाल की जमीन, **उत्तर:** पलटोराम की जमीन, **दक्षिण:** रास्ता	17.02.2021 / 13.08.2021 / सांकेतिक कब्जा	रू. 2,54,533.00 दिनांक 31.01.2021 (+ ब्याज एवं अन्य खर्चे)	24,60,000.00 / 2,46,000.00
शाखा: राजेडीहा					
5.	**ऋणी: श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री रामचन्दर,** ग्राम– देवरी, पो– अर्जी, जिला– सिद्धार्थ नगर **ज़मानतकर्ता: (1) कमलेश पुत्र छोटेलाल,** ग्राम–बेल्वा लगुन्ही, पो–दलदला, जिला–सिद्धार्थ नगर **(2) हरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र राम चन्दर,** ग्राम– देवरी, पो– अर्जी, जिला– सिद्धार्थ नगर	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि एवं भवन, **क्षेत्रफल:** 228 वर्गमी, मकान सं. 39, पार्ट–II, स्थित मौजा– बेलवा लगुनही, तप्पा– खेसरहा, तहसील– बांसी, जिला– सिद्धार्थ नगर, **भूस्वामी:** श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री रामचन्दर **चौहद्दी (डीड एवं वर्तमान के अनुसार): पूर्व:** गली की बाद अब्दुल रसीद की जमीन, **पश्चिम:** पी,डब्लू.डी. सड़क बांसी से संत कबीर नगर, **उत्तर:** हरेन्द्र कुमार पाण्डेय का मकान, **दक्षिण:** रामलौट का माकन	17.02.2021 / 13.08.2021 / सांकेतिक कब्जा	रू. 5,04,347.00 दिनांक 16.02.2021 (+ ब्याज एवं अन्य खर्चे)	7,26,000.00 / 72,600.00
शाखा: रामपुर बाराकोनी					
6.	**ऋणी: राधिका ट्रेडर्स प्रोप राकेश कुमार पुत्र लालदेव,** ग्राम–ऐलिया, पोस्ट–परसांव, जिला–बस्ती **ज़मानतकर्ता: (1) राधिका देवी पत्नी लालदेव,** ग्राम–ऐलिया, पोस्ट–परसांव, जिला–बस्ती (बंधककर्ता) **(2) रामचेत पुत्र हरदेव,** ग्राम– पिपरपाती अहतमाली, पोस्ट–परसांव, जिला–बस्ती	अचल सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित क्षेत्रफल–0.063 हेक्ट, प्लॉट सं. 248, मिन, स्थित ग्राम–ऐलिया पोस्ट–परसांव, तप्पा–कुदराहा, परगना–महूली पश्चिम उप जिला बस्ती, जिला–बस्ती, **भूस्वामी:** श्रीमती राधिका देवी पत्नी लालदेव **चौहद्दी: उत्तर:** भूमि राम कल्प, **दक्षिण:** अनिल कुमार की भूमि, **पूर्व:** इन्द्रदेव की भूमि, **पश्चिम:** कच्चा रास्ता	23.07.2021 / 06.10.2021 / सांकेतिक कब्जा	रू. 7,45,245.00 दिनांक 30.06.2021 (+ ब्याज एवं अन्य खर्चे)	11,85,840.00 / 1,18,584.00
शाखा: मगहर					
7.	**ऋणी: रिन्कू सिंह पत्नी विरेन्द्र सिंह,** ग्राम–कसैला, पो–खलीलाबाद, जिला– सन्त कबीर नगर **सह–ऋणी: विरेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह,** ग्राम–कसैला, पो–खलीलाबाद, जिला– सन्त कबीर नगर	सम्पत्ति के सभी भाग एवं सहित क्षेत्रफल–72 वर्ग मी. क्र.सं. 5002, दिनांक 14.11.2017, प्लॉट सं. 28 मिन, स्थितः ग्राम–कसैला, तप्पा–दक्षिण हवेली, परगना–मगहर ईस्ट, पंजीकरण सब–जिला खलीलाबाद सहित एवं जिला–सन्त कबीर नगर, **भूस्वामी:** श्रीमती रिन्कू सिंह पत्नी विरेन्द्र सिंह के नाम से **चौहद्दी वर्तमान: पूर्व:** दिवाकर उपाध्याय की भूमि, **पश्चिम:** कच्चा सड़क 12 फिट, **उत्तर:** कच्चा सड़क 12 फिट, **दक्षिण:** नज़मा खातून का भवन	22.09.2021 / 03.12.2021 / सांकेतिक कब्जा	रू. 13,00,267.00 दिनांक 31.08.2021 (+ ब्याज एवं अन्य खर्चे)	19,19,700.00 / 1,91,970.00

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति और फोटो के साथ में अपनी बोली जमा करनी होगी। **(लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए।** 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में बस्ती में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू. पी. के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10: जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को नगद के रूप में उसी दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एव पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वय करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है"** आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। **अतः कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप – धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा।** 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपरान्ह 2:00 बजे से साय 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधरण के लिए सामान्तर रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि https://www.barodaupbank.in/sarfesinotice.php देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति

दिनांक: 11.05.2024 स्थान: संत कबीर नगर प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक